



भारत और नया अफ़ग़ानिस्तान : मान्यता के बिना जुड़ाव

- अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से, अफ़ग़ानिस्तान को कूटनीतिक अलगाव और मानवीय संकट का सामना करना पड़ा है। हालाँकि अधिकांश देशों ने तालिबान शासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, फिर भी व्यावहारिक सहयोग जारी रहा है। भारत ने भी अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए तालिबान को मान्यता न देने और रचनात्मक सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा है।



अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुछ तालिबान नेताओं के विरुद्ध प्रतिबंध जारी रखे हुए है और मानवाधिकारों, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करते हुए एक समावेशी सरकार के गठन पर ज़ोर दे रही है।
- अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) मानवीय समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कार्यों को जारी रखे हुए है।
- चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने तालिबान प्रतिनिधिमंडलों की मेज़बानी की है, जो अफ़ग़ानिस्तान में प्रभाव के लिए भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।
- चीन ने हाल ही में काबुल में एक पूर्ण राजदूत नियुक्त किया है, जो सुरक्षा और संसाधन हितों से प्रेरित गहन जुड़ाव का संकेत देता है।
- पाकिस्तान एक प्रमुख समर्थक बना हुआ है, लेकिन तालिबान की नीतियों के कारण उसे सीमा पार उग्रवाद और अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है।

भारत का दृष्टिकोण: मान्यता के बिना जुड़ाव

(क) कोई औपचारिक मान्यता नहीं: भारत तालिबान शासन को अफ़ग़ानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं देता है।

(ख) दूतावास का पुनः उद्घाटन (2022)

- तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था।
- जून 2022 में एक छोटी तकनीकी टीम तैनात की गई थी, जिसका कार्य था:
 - मानवीय सहायता का समन्वय करना,

- o कार्यात्मक मुद्दों (व्यापार, संपर्क, बुनियादी ढाँचा) पर काम करना,
- o सुरक्षा स्थिति की निगरानी करना।

(c) मानवीय सहायता

- मानवीय सहायता: 50,000 टन से अधिक गेहूँ, चिकित्सा आपूर्ति, टीके और शीतकालीन राहत सामग्री।
- शैक्षिक सहायता: अफ़ग़ान छात्रों (विशेषकर महिलाओं) के लिए छात्रवृत्तियाँ और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम।
- सहायता WFP और UNAMA जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के माध्यम से प्रदान की जाती है, न कि सीधे तालिबान सरकार के माध्यम से।

(d) विकास और विरासत परियोजनाएँ

- भारत अफ़ग़ानिस्तान के विकास में 3 अरब डॉलर से अधिक के अपने प्रमुख निवेश की सुरक्षा करता है:
 - o सलमा बाँध (अफ़ग़ान-भारत मैत्री बाँध)
 - o ज़ारंज-डेलाराम राजमार्ग
 - o अफ़ग़ान संसद भवन
 - o बिजली पारेषण लाइनें, अस्पताल और स्कूल
- भारत का ध्यान पिछली उपलब्धियों को संरक्षित करने और अफ़ग़ान नागरिकों के बीच सद्भावना बनाए रखने पर है।

(E) बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहभागिता

- मॉस्को प्रारूप वार्ता, हार्ट ऑफ़ एशिया - इस्तांबुल प्रक्रिया
- आतंकवाद और संपर्क पर भारत-मध्य एशिया एनएसए बैठक (2022)
- मानवीय कार्यों के लिए यूएनएएमए के साथ समन्वय
- चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग

3. हालिया घटनाक्रम: पूर्ण दूतावास में उन्नयन

- अक्टूबर 2025 में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने घोषणा की कि भारत काबुल में अपने तकनीकी मिशन को एक पूर्ण दूतावास में उन्नत करेगा। यह निर्णय नई दिल्ली में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ उनकी बैठक के बाद लिया गया।
- इस कदम के पीछे तर्क: भारत की नीति रणनीतिक सावधानी और यथार्थवाद से प्रेरित है। यह स्वीकार करता है:
- सुरक्षा चिंताएँ: अफ़ग़ानिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने से रोकना।
- भू-राजनीतिक संतुलन: रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को संभालते हुए पाकिस्तान के प्रभाव का मुकाबला करना।
- विकासात्मक विरासत: भारत ने अफ़ग़ानिस्तान में बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन परियोजनाओं में 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है - सलमा बाँध से लेकर अफ़ग़ान संसद भवन तक।
- मानवीय कूटनीति: मानवीय सहायता के माध्यम से भारत की पहुँच एक उदार शक्ति के रूप में उसकी छवि को बनाए रखने में मदद करती है।
- भारत ने अफ़ग़ानिस्तान में स्थिरता और आतंकवाद-निरोध पर चर्चा करने के लिए भारत-मध्य एशिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक की मेजबानी की और क्षेत्रीय संवादों (जैसे मॉस्को फ़ॉर्मेट) में भाग लिया। हालाँकि, भारत तब तक तालिबान शासन को वैध बनाने से परहेज़ करता है जब तक कि वहाँ समावेशी शासन और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान न हो।

4. व्यापक विदेश नीति संदर्भ

- भारत की अफ़ग़ानिस्तान नीति उसकी "सिद्धांतबद्ध व्यावहारिकता" को दर्शाती है - नैतिक प्रतिबद्धताओं (मानवाधिकार, लोकतंत्र) को व्यावहारिक राजनीति (सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता) के साथ संतुलित करना।
- यह भारत के रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत के अनुरूप भी है, जो बाहरी दबाव के बिना स्वतंत्र जुड़ाव को सक्षम बनाता है।

नई दिल्ली का दृष्टिकोण: एक व्यावहारिक समझौता

- भारत की भागीदारी को "कानूनी मान्यता के बिना वास्तविक मान्यता" के रूप में देखा जा सकता है।

यह दृष्टिकोण निम्नलिखित की अनुमति देता है:

- व्यावहारिक मुद्दों पर तालिबान अधिकारियों के साथ संपर्क जारी रखना।
- सहायता और बुनियादी ढाँचे के माध्यम से अफ़ग़ान लोगों को सहायता प्रदान करना।
- सिद्धांतों से समझौता किए बिना राजनयिक आधार बनाए रखना।

यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की विदेश नीति के सिद्धांतों को दर्शाता है, जो आदर्शों (लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए समर्थन) को व्यावहारिक हितों (क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा) के साथ संतुलित करता है।

संगठित अपराध: प्रकृति, चुनौतियाँ और भारत की प्रतिक्रिया

संगठित अपराध से तात्पर्य उन आपराधिक गतिविधियों से है जो व्यवस्थित रूप से समन्वित, संरचित और निरंतर होती हैं और अवैध लाभ और शक्ति के उद्देश्य से समूहों या सिंडिकेट द्वारा की जाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनटीओसी, 2000):

“तीन या अधिक व्यक्तियों का एक संरचित समूह जो एक निश्चित अवधि के लिए विद्यमान रहता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एक या अधिक गंभीर अपराध करने के लिए मिलकर कार्य करता है।



राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) इसे इस प्रकार परिभाषित करता है:

“किसी संगठित समूह या सिंडिकेट द्वारा हिंसा, धमकी, भ्रष्टाचार या अन्य तरीकों का उपयोग करके वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करना, गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना।”

संगठित अपराध की प्रमुख विशेषताएँ

1. निरंतरता: अपराध अलग-थलग कृत्य नहीं होते, बल्कि दीर्घकालिक गतिविधियों का हिस्सा होते हैं।

2. पदानुक्रम: शीर्ष नेतृत्व, मध्य प्रबंधकों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ एक स्पष्ट कमान संरचना।
3. लाभ अभिविन्यास: प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ है, विचारधारा नहीं। Use of Violence & Intimidation: बल प्रयोग अनुशासन और नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
4. भ्रष्टाचार और प्रभाव: राजनीति, नौकरशाही और पुलिस में रिश्तखोरी और घुसपैठ।
5. गोपनीयता और अनुशासन: मौन और निष्ठा के सख्त नियम।
6. आधुनिक तकनीक का उपयोग: साइबर उपकरण, एन्क्रिप्टेड संचार और सीमा-पार नेटवर्क।
7. अंतर्राष्ट्रीय संचालन: सीमा-पार तस्करी, मानव तस्करी और धन शोधन।

भारत में उद्देश्य और संस्थागत ढांचा

कानून/संस्था	उद्देश्य
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)	षडयंत्र, संगठित हिंसा, जबरन वसूली आदि के लिए सामान्य प्रावधान।
आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013	मानव तस्करी और संगठित यौन शोषण के विरुद्ध बढ़ी हुई शक्तियाँ।
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985	मादक पदार्थों की तस्करी और उससे संबंधित अपराधों को नियंत्रित और दंडित करता है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002	अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर नज़र रखता है और उन्हें ज़ब्त करता है।
गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967	आतंकवाद से संबंधित संगठित नेटवर्क से निपटता है।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008	एनआईए अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों की जाँच करता है।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई)	अंतरराज्यीय और सफेदपोश अपराध गिरोहों से निपटता है।
राज्यों द्वारा संगठित अपराध अधिनियम:	संगठित सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग

संगठित अपराध के प्रमुख रूप

1. मादक पदार्थों की तस्करी
2. हथियारों की तस्करी
3. मानव तस्करी
4. धन शोधन
5. जाली मुद्रा
6. साइबर अपराध सिंडिकेट
7. संगठित जबरन वसूली, ठेके पर हत्याएँ और भू-माफिया

संगठित अपराध-आतंकवाद गठजोड़

- **साझा संसाधन:** हथियारों, नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा की तस्करी के लिए साझा रास्ते।
- **वित्तीय संबंध:** आतंकवादी समूह अक्सर वित्तपोषण के लिए संगठित अपराध पर निर्भर रहते हैं।

- **परिचालन सहयोग:** आपराधिक गिरोह रसद, सुरक्षित ठिकाने और जाली दस्तावेज़ उपलब्ध कराते हैं।

भारत में कानूनी और संस्थागत ढांचा

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), 1999

- कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (KCOCA), 2000
- गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (GCTOC), 2015 |

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

1. **संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन: यूएनटीओसी (पलेमो कन्वेंशन, 2000);** भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएसी, 2003)
2. **द्विपक्षीय समझौते:** कई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ और पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ (एमएलएटी)।
3. **इंटरपोल और वित्तीय खुफिया इकाइयाँ:** भारत के एफआईयू-आईएनडी और इंटरपोल रेड नोटिस भगोड़ों और धन के लेन-देन का पता लगाने में सहायता करते हैं।
4. **एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल):** भारत धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए एफएटीएफ की सिफारिशों का अनुपालन करता है।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), 1999

- मुंबई अंडरवर्ल्ड गिरोहों, जबरन वसूली रैकेट और दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिनियमित।
- मकोका को बाद में दिल्ली (2002) तक बढ़ा दिया गया और अन्य राज्यों द्वारा संशोधित रूप में अपनाया गया।
- इस कानून का उद्देश्य संगठित अपराध गिरोहों के वित्तीय, परिचालन और संरचनात्मक आधार को लक्षित करके उन्हें रोकना और नष्ट करना है।

संस्थागत और प्रक्रियात्मक विशेषताएं

- **विशेष न्यायालय:** मकोका मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशिष्ट न्यायालय।
- **अनुमोदन और स्वीकृति:** मामला दर्ज करने से पहले पुलिस आयुक्त की स्वीकृति और राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है।
- **अवरोधन की विस्तारित शक्तियाँ:** साक्ष्य संग्रह के लिए टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की अनुमति है।
- **संपत्ति की ज़ब्त:** संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति ज़ब्त और ज़ब्त की जा सकती है।
- **दोष की धारणा:** न्यायालय संपत्ति पर कब्ज़ा या सिंडिकेट में भागीदारी के आधार पर दोष मान सकते हैं, जब तक कि उसे गलत साबित न किया जाए।
- **गवाह संरक्षण और पहचान छिपाना:** न्यायालय धमकी को रोकने के लिए पहचान छिपा सकते हैं।

दंड

- **न्यूनतम कारावास:** 5 वर्ष
- **अधिकतम:** आजीवन कारावास या मृत्युदंड (मृत्यु के मामलों में)
- **अतिरिक्त दंड:** भारी जुर्माना और संपत्ति ज़ब्त

उल्लेखनीय अनुप्रयोग

- मुंबई अंडरवर्ल्ड मामलों (जैसे, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम नेटवर्क) में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया।
- एनआईए/यूएपीए क्षेत्राधिकार में आने वाले आतंकवाद से जुड़े मामलों में लागू।
- संगठित जबरन वसूली और गिरोह हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस तक विस्तारित।





Engagement Without Recognition: India and the New Afghanistan

- Since the Taliban's return to power in **August 2021**, Afghanistan has faced diplomatic isolation and humanitarian distress. While most countries have not officially recognised the Taliban regime, pragmatic engagement has continued. India too has maintained a calibrated approach balancing between non-recognition of the Taliban and constructive engagement to protect its strategic interests.



International Context.

- The **UN Security Council** maintains sanctions against certain Taliban leaders and insists on the formation of an inclusive government respecting human rights, especially women's rights.
- The **UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)** continues its operations, focusing on humanitarian coordination.
- Regional powers such as **China, Russia, Iran, and Pakistan** have hosted Taliban delegations, reflecting the geopolitical competition for influence in Afghanistan.
 - **China** recently appointed a full ambassador to Kabul, signalling deeper engagement driven by security and resource interests.
 - **Pakistan** remains a key backer but faces cross-border militancy and instability due to Taliban policies.

India's Approach: Engagement Without Recognition

(a) No Formal Recognition: India does **not recognise** the Taliban regime as the legitimate government of Afghanistan.

(b) Reopening of Embassy (2022)

- India had closed its **Embassy in Kabul** after the Taliban takeover.
- A **small technical team** was deployed in **June 2022**, tasked with:
 - Coordinating humanitarian aid,
 - Engaging on functional issues (trade, connectivity, infrastructure),
 - Monitoring the security situation.

(c) Humanitarian Assistance

- **Humanitarian aid:** Over **50,000 tonnes of wheat**, medical supplies, vaccines, and winter relief materials.
- **Educational support:** Scholarships and **online education programmes** for Afghan students (especially women).
- Aid delivered via **UN agencies like WFP and UNAMA**, not directly through the Taliban government.

(d) Development & Legacy Projects

- India safeguards its major investments worth over **\$3 billion** in Afghanistan's development:
 - **Salma Dam (Afghan–India Friendship Dam)**
 - **Zaranj–Delaram Highway**
 - **Afghan Parliament Building**
 - **Power transmission lines, hospitals, and schools**
- India's focus is to **preserve past achievements** and maintain goodwill among Afghan citizens.

(e) Multilateral & Regional Engagement

- **Moscow Format Talks, Heart of Asia – Istanbul Process**
- **India–Central Asia NSA meeting (2022)** on terrorism and connectivity
- Coordination with **UNAMA** for humanitarian operations
- Collaboration with **Iran and Central Asian states** to promote connectivity via **Chabahar Port** and **INSTC**

3. Recent Development: Upgrade to Full Embassy

- In **October 2025**, External Affairs Minister **S. Jaishankar** announced that India will **upgrade its technical mission in Kabul to a full-fledged Embassy**. The decision came after his meeting with **Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi** in New Delhi.

Rationale Behind the Move India's policy is guided by **strategic caution and realism**. It acknowledges:

- **Security Concerns:** Preventing Afghanistan from becoming a safe haven for groups like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed.
- **Geopolitical Balancing:** Countering Pakistan's influence while managing relations with Russia, Iran, and Central Asian states.
- **Developmental Legacy:** India has invested over **\$3 billion** in Afghanistan in infrastructure, education, health, and governance projects — from the **Salma Dam** to the **Afghan Parliament Building**.
- **Humanitarian Diplomacy:** India's outreach through humanitarian aid helps preserve its image as a benevolent power.

India hosted the **India–Central Asia NSA meeting** and participated in **regional dialogues** (like the Moscow Format) to discuss stability and counterterrorism in Afghanistan. However, India refrains from legitimising the Taliban regime until there is **inclusive governance and respect for women's rights**.

4. Broader Foreign Policy Context

- India's Afghanistan policy reflects its **“principled pragmatism”** — balancing moral commitments (human rights, democracy) with realpolitik (security, regional stability).
- It also aligns with India's doctrine of **strategic autonomy**, enabling independent engagement without external pressure.

View from New Delhi: A Pragmatic Compromise

India's engagement can be seen as a **“de facto recognition without de jure recognition.”**

This approach allows:

- Continuation of contact with Taliban officials for practical issues.
- Support to Afghan people through aid and infrastructure.

- Maintenance of a diplomatic foothold without compromising principles.
- It reflects India's foreign policy ethos of **strategic autonomy**, balancing ideals (support for democracy and human rights) with practical interests (regional stability and security).

Organised Crime: Nature, Challenges, and India's Response

Organised crime refers to criminal activities that are **systematically coordinated, structured, and continuous**, carried out by groups or syndicates with the objective of **illegal profit and power**.

UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC, 2000):

"A structured group of three or more persons existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit"



National Security Council Secretariat (NSCS) defines it as:

"Continuing unlawful activity by an organised group or syndicate, using violence, threat, corruption, or other means to obtain financial or material gains."

Key Characteristics of Organised Crime

1. **Continuity:** Crimes are not isolated acts but part of long-term operations.
2. **Hierarchy:** A clear command structure with top leadership, middle managers, and field operatives.
3. **Profit Orientation:** Primary motive is economic gain, not ideology.
4. **Use of Violence & Intimidation:** Coercion ensures discipline and control.
5. **Corruption & Influence:** Bribery and infiltration into politics, bureaucracy, and police.
6. **Secrecy & Discipline:** Strict codes of silence and loyalty.
7. **Use of Modern Technology:** Cyber tools, encrypted communication, and cross-border networks.
8. **Transnational Operations:** Cross-border smuggling, trafficking, and money laundering.

Major Forms of Organised Crime

1. **Drug Trafficking**
2. **Arms Trafficking**
3. **Human Trafficking**
4. **Money Laundering**
5. **Counterfeit Currency**
6. **Cyber Crime Syndicates**
7. **Organised Extortion, Contract Killings, and Land Mafia**

Legal and Institutional Framework in India

Law / Institution	Purpose
Indian Penal Code (IPC)	General provisions for conspiracy, organised violence, extortion, etc.
Criminal Law (Amendment) Act, 2013	Enhanced powers against human trafficking and organised sexual exploitation.
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985	Controls and punishes drug trafficking and related crimes.
Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002	Tracks and confiscates illegally earned assets.
Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967	Deals with terror-related organised networks.
National Investigation Agency (NIA) Act, 2008	NIA investigates inter-state and transnational organised crimes.
Central Bureau of Investigation (CBI)	Handles interstate and white-collar crime syndicates.
Organised Crime Acts by States:	Organised Betting & Match Fixing

Organized Crime–Terrorism Nexus

- **Shared Resources:** Common routes for smuggling arms, drugs, and counterfeit currency.
- **Funding Linkages:** Terror groups often rely on organised crime for financing.
- **Operational Collaboration:** Criminal syndicates provide logistics, safe houses, and forged documents.

Legal and Institutional Framework in India

- *Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA), 1999*
- *Karnataka Control of Organised Crime Act (KCOCA), 2000*
- *Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime Act (GCTOC), 2015* |

International Cooperation

1. **UN Conventions:** UNTOC (Palermo Convention, 2000); UN Convention Against Corruption (UNCAC, 2003)
2. **Bilateral Agreements:** Extradition treaties and Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) with several countries.
3. **Interpol & Financial Intelligence Units:** India's FIU-IND and Interpol Red Notices assist in tracking fugitives and money trails.
4. **FATF (Financial Action Task Force):** India complies with FATF recommendations to counter money laundering and terror financing.

Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA), 1999

- Enacted by the **Government of Maharashtra** in 1999 to combat the rising influence of **Mumbai underworld gangs**, extortion rackets, and **Dawood Ibrahim's network**.
- MCOCA was later **extended to Delhi** (2002) and **adopted in modified forms** by other states.
- The law aims to **deter and dismantle organised crime syndicates** by targeting their financial, operational, and structural foundations.

Institutional & Procedural Features

- **Special Courts:** Exclusive courts for speedy trial of MCOCA cases.
- **Approval & Sanction:** Police Commissioner approval and State Government sanction required before case registration.
- **Extended Powers of Interception:** Telephone and electronic surveillance allowed for evidence collection.
- **Confiscation of Property:** Assets derived from organised crime can be seized and forfeited.

- **Presumption of Guilt:** Courts can presume guilt from property possession or syndicate participation unless disproven.
- **Witness Protection & Identity Concealment:** Courts can conceal identities to prevent intimidation.

Punishments

- **Minimum Imprisonment:** 5 years
- **Maximum:** Life imprisonment or death penalty (in cases resulting in death)
- **Additional Penalties:** Heavy fines and property forfeiture

Notable Applications

- Extensively used in **Mumbai underworld cases** (e.g., Chhota Rajan, Dawood Ibrahim network).
- Applied in **terror-linked cases** before NIA/UAPA jurisdiction.
- Extended to **Delhi Police** to curb organised extortion and gang violence.

